राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :– ई–33/ले.टे./(एफ–1146)/2019/ दिनांक :

आदेश

श्री बसन्त कुमार शर्मा, लैब टेक्नीशियन प्रधानाचार्य, सवाई मानसिह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर को जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित बीएससी प्रथम वर्ष परीक्षा (स्वयंपाठी) में अध्ययन करने की स्वीकृति हेतु अनुमति/अनापत्ति निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान की जाती है :–

शर्ते निम्न प्रकार हैः–

1 शिक्षण संस्थान मे अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो स्वीकृती स्वत ही समाप्त मानी जावेगी।
2 राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृती संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित/स्थानान्तरण हो जाता है तो स्वीकृती स्वत ही समाप्त हो जावेगी।
3 प्रत्येक वर्ष के लिए अलग–अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4 विभाग की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एव परीक्षा मे सम्मिलित होने वाले कर्मचारियो के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
5 जिन कर्मचारियो को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एव परीक्षा मे सम्मिलित होने की अनुमति दी जावेगी उन्हे परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जावेगा।
6 अध्ययन स्वीकृती दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी संस्था विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नही मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7 अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्यसपादन मे किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेगा अन्यथा स्वीकृती समाप्त कर दी जावेगी।
8 अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिए सरकार/विभाग किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10 प्रशासनिक कारणों से लोकहित/राज्य हित मे स्वीकृती/अनुमति बिना कोई सूचना के निरस्त की जा सकती है।
11 राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय भार वहन नही किया जावेगा।
12 अर्जित योग्यता के आधार पर विभाग किसी प्रकार का लाभ का पद देने हेतु बाध्य नही होगा।
13 इन्हें केवल परीक्षा दिवस का ही अवकाश नियमानुसार स्वीकृत किया जायेगा।
14 राज्य सेवा मे कोई व्यवधान ना हो।

नोटः–उक्त कर्मियों में यदि कोई संविदा/समेकित वेतन पर कार्यरत है तो उनके मामले में यह आदेश लागू नहीं होगा।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0, जयपुर

क्रमाक :– ई–33/ले टे/(1146)/2019/164 दिनांक : 14/03/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर।
2. प्रभारी, सर्वर रूम, क नं 302, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
3. श्री बसन्त कुमार शर्मा, लैब टेक्नीशियन को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0, जयपुर